उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-134/2025/2944/30-3-2025-75जीई/2017(ई-1988485)
लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति
(संशोधन)

परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-131/2025/2919/30-3-2025-75जीई/2017(ई-1988485), दिनांक 17.12.2025 द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान बैण्ड-3, रू0 15600-39100 व ग्रेड वेतन रू0 5400/-) को नियमित चयनोपरान्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान वेतन बैण्ड-3, रू0 15600-39100 व ग्रेड वेतन रू0 6600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त विज्ञप्ति/नियुक्ति दिनांक 17.12.2025 की सारणी के क्रमांक-1 व 8 पर अंकित कार्मिकों के सम्बन्ध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्रमांक	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)
1	2	3
1-	249	श्याम लाल राम (पदोन्नति दिनांक 18.03.2026 से प्रभावी होगी)
2-	298	रामचन्द्र भारतीय (पदोन्नति दिनांक 29.05.2026 से प्रभावी होगी)

2- उपर्युक्त विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-131/2025/2919/30-3-2025-75जीई/2017(ई-1988485), दिनांक 17.12.2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त नियुक्ति/विज्ञप्ति दिनांक 17.12.2025 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

ह0/-
के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव।

संख्या-134/2025/2944(1)/30-3-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(4) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0 लखनऊ।
(5) संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
(6) समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/संभागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त उ0प्र0)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) संबंधित अधिकारी।

(8) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उ0प्र0 के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित राजपत्र की पच्चीस प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(9) कार्मिक अनुभाग-1

(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

के0पी0 सिंह,

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।